



## श्रम कल्याण पारिषद, द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

श्रमिक योजना का आवेदन करने हेतु [www.skp.uplabouracts.in](http://www.skp.uplabouracts.in) पर आवेदन कर सकते हैं।

क	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	देय हितलाभ	पात्रता
1	डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी योजना)	सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु रु० 5,000.00 एक मुश्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु० 8,000.00 एक मुश्त डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रु० 10,000.00 एकमुश्त	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो
2	गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना	60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को रु० 3,000 एक मुश्त 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को रु० 5,000 एक मुश्त	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो
3	राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता वितरण योजना	श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को रु० 15,000 एकमुश्त की अर्थिक सहायता	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की गई हो।
4	ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना	रु० 15,000.00 की आर्थिक सहायता	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो
5	दत्तोपन्त ठेंगडी मृतक अन्तेष्टि सहायता योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को अन्तेष्टि हेतु आर्थिक सहायता वितरण योजना	श्रमिक के मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को रु० 5,000 एकमुश्त की अर्थिक सहायता	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की की गई हो
6	चेतन चौहान क्रीडा प्रोत्साहन योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों जिनका चयन जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हुआ है।	जिला स्तर 10,000 राज्य स्तर 25,000 राष्ट्रीय स्तर 50,000 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 1,00,000	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो।
7	स्वागी विवेकानन्द धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु आर्थिक सहायता योजना	आई०आर०सी०टी०सी० अथवा पर्यटन विभाग उ०प्र० द्वारा चलायी जाने वाली टूरिज्म पैकेज के माध्यम से यात्रा करने पर रु० 2000 प्रति सदस्य की दर से अधिकतम छः सदस्यों के लिये अधिकतम रु 12000	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो
8	महादेवी वर्मा पुस्तक कय धन योजना	जनपद रायबरेली में पंजीकृत कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के ऐसी पुत्रियों जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उन्हें पुस्तक कय धन हेतु आर्थिक सहायता योजना।	परास्नातक अभ्यर्थियों के लिये रु० 7,500.00 प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त।	किसी अधिष्ठान/कारखाने में कम से कम 06 माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय सेवारत हो

